

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(902)/2018/ दिनांक:-

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म.स्वा.का./ (902)/13/1778 दिनांक 08.01.2014 द्वारा श्रीमती आशा तवर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को स्वीकृत अध्ययन अवकाश के बिन्दु संख्या 02 पर अंकित अवैतनिक अवकाश में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि	संशोधित अवकाश अवधि
2. दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2016 तक 01 वर्ष का अवैतनिक अवकाश।	2. दिनांक 01.10.2015 से 03.04.2016 तक 186 दिवस का असाधारण अवकाश। 3. दिनांक 04.05.2016 से 03.11.2016 तक 184 दिवस का असाधारण अवकाश।

निदेशालय के आदेश दिनांक 08.01.2014 में अंकित शेष अवकाश अवधि यथावत रहेगी।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 15/05/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(902)/2018/947

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीसांगन/मसूदा (अजमेर)।
3. प्रधानाचार्य, पूजा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ब्यावर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर